कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

–::आदेश::–

क्रमांक 301 /दो–11–18/2018 नर्मदापुरम, दिनांक 15.03.2026

श्री प्रभुदयाल रजक, भृत्य, न्यायालय द्वितीय जिला एवं अतरिक्त सत्र न्यायाधीश, पिपरिया का कार्यालय आदेश कमांक 91 दिनांक 21.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 से 02.02.2026 तक कुल 07 दिवस का अर्जित अवकाश मय मुख्यालय अनुमति स्वीकृत किया गया था।

आवेदक को उक्त अवकाश उपभोग पश्चात दिनांक 03.02.2026 को कर्तव्य पर उपस्थित होना था, किन्तु कर्मचारी बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छया पूर्वक दिनांक 03.02.2026 से 09.03.2026 तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा।

अनुपस्थिति के संबंध में कर्मचारी को स्पष्टीरण प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन कमांक 1037 दिनांक 28.02.2026 जारी किया गया, जिसका जबाव संदोषप्रद नहीं पाया गया।

मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 2025 के नियम 24 अनुसार शासकीय सेवक, जो अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अनुपस्थित रहता है, की ऐसी अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस माना जाएगा तथा अवकाश समाप्ति के बाद स्वेच्छा से कार्य से अनुपस्थित रहने वाला शासकीय सेवक, अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

अतः स्वेच्छा कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप दिनांक 03.02.2026 से 09.02.2026 तक 07 दिवस तक की अवधि अवैतनिक की जाती है।

Sd/–
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नर्मदापुरम(म.प्र.)

पृ0क0 1233/दो–11–18/2018 नर्मदापुरम, दिनांक 15.03.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः–

01 प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02 द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्री प्रभुदयाल रजक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03 जिला कोषालय अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
04 लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
05 सेवा पुस्तिका प्रति।
06 जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)